राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

11/6/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान:
न्याय आपके द्वार 2018 के तहत पेश
लोक अदालत में पेश हुई कार्यवाही
की गई [illegible] उपस्थित
पक्षकार [illegible] के मध्य समझौता
हो गया है। अतः प्रकरण में
समझौता के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है।

संजय गुर्जर

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	[illegible]

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
''न्याय आपके द्वार–2018''

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
10/2018/वाद पत्र	12.01.2018	11.06.2018

उनवान

संजय पिता तेजमल गुर्जर नि0 बिजयनगर तह0 बिजयनगर जिला अजमेर
– वादी

बनाम

1– लालसिंह पिता अमरसिंह राजपूत नि0 रामपुरा मजरा खामोर तह0 शाहपुरा
2– तहसीलदार, शाहपुरा
– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री अनिल शर्मा : अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की ग्राम रामपुरा मजरा खामोर आराजी आ0न0 358 रकबा 1.21 है0 स्थित होकर वादी के उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। प्रतिवादी नं0 1 एवं उसके भाई मानसिंह व दलेलसिंह पडोसी है जिन्होने वादी की आराजी को लेकर विवाद किया और धीरे धीरे वादी की आराजी पर कब्जा करना प्रारम्भ कर दिया क्योकि वादी बिजयनगर निवास करता है। वादी द्वारा पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 816/2015 होकर निर्णय दिनांक 08.06.2015 को किया गया जिसकी पालना मे हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा 24.10.2016 को पत्थरगढ़ी की गई जिसमे प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा पाया गया। इसलिये वादी की ओर यह कब्जेयाबी का वाद पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई। वादी का सिजारी 28.06.2017 को आराजी हांकने गया तो प्रतिवादी नं0 1 ने विवाद किया और जमीन की हंकाई नही करने दी। प्रतिवादी नं0 1 का जो अनाधिकृत कब्जा वादी की आराजी पर है। उसे बेदखल किया जाकर कब्जाा वादी को सिपुर्द कराया जाना आवश्यक है। अतः वादी के पक्ष मे व प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्व कब्जेयाबी की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावे कि पेरा 1 मे वर्णित आराजी न0 358 रकबा 1.21 है0 पर प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराने की डिक्री सादिर प्रदान करावे। आदेश की पालना प्रतिवादी नं0 2 से कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 14.03.2018 को प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र खामोर पर दिनांक 11.06.2018 को वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। वादी स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादी ने वाद पत्र मे अंकित

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम रामपुरा (खामोर) संवत 2070 से 73 खाता संख्या 82 आ0न0 358 रकबा 1.21 है0 नामान्तरकरण संख्या 316 निर्णय दिनांक 25.02.2014 बेचान से पूरा खाता संजय पिता तेजमल गुर्जर सा0 बिजयनगर तहसील मसूदा जिला अजमेर के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई। मौका पर्चा पत्थरगढ़ी दिनांक 24.10.2016 भू–अभिलेख निरीक्षक तहनाल अनुसार प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा मौके पर पाया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी नं0 1 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम रामपुरा प0ह0 खामोर तहसील शाहपुरा की जमाबन्दी संवत 2070 से 73 मे दर्ज आ0न0 358 रकबा 1.21 है किस्म बारानी द्वितीय का कब्जा वादी को प्रतिवादी नं0 1 से दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 11.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र खामोर पर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 यादव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री के0आर0 यादव, आर0ए0एस0

संजय पिता तेजमल गुर्जर नि0 बिजयनगर तह0 बिजयनगर जिला अजमेर – वादी

बनाम

1– लालसिंह पिता अमरसिंह राजपूत नि0 रामपुरा मजरा खामोर तह0 शाहपुरा

2– तहसीलदार, शाहपुरा – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टि0ए0

मुकदमा नम्बर 10 सन् 2018

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .... X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम रामपुरा प0ह0 खामोर तहसील शाहपुरा की जमाबन्दी संवत 2070 से 73 मे दर्ज आ0न0 358 रकबा 1.21 है किस्म बारानी द्वितीय का कब्जा वादी को प्रतिवादी नं0 1 से दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 11 माह 06 सन् 2018 से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा
जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner